विदेशी मुद्रा गतिविधियां

1. स्पष्टीकरण - विदेशी कंपनियों (एंटिटीज) द्वारा भारत में शाखा कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों की स्थापना - अधिकारों का प्रत्यायोजन

30 दिसंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 24 में ऐसे संपर्क कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों की परिसंपत्तियों को अन्य को अंतरित करने की अनुमति देने के अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए गए हैं । इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय की परिसंपत्तियों को उसकी सहायक कंपनियों या किसी अन्य संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय या किसी अन्य कंपनी को अंतरित करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय के विशिष्ट अनुमोदन पर ही दी जाती है ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 88, 1 मार्च 2012]

2. 'सूचीबध्द होने वाली' कर्ज प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश

सेबी ने 26 नवंबर 2010 के अपने परिपत्र सं. सीआईआर/ आईएमडीएफ/एफआईआईसी/18/ 2010 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली निवेश सीमा के तहत संशोधित विनियोजन के बाबत अनुदेश जारी किए हैं । अपने परिपत्र के पैरा 8 में सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को 'सूचीबध्द होनेवाली' कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी है । तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाते अब अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के प्राथमिक निर्गमों में केवल तभी निवेश कर सकते हैं जब ऐसे बांडों/अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की सूचीबध्दता निवेश की तारीख से 15 दिनों में पूरी करने का वादा किया गया हो । यदि सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी संस्थागत निवेशक के उप-खातों को जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड, किसी कारणवश, उन्हें जारी होने से 15 दिनों के भीतर सूचीबध्द नहीं हो पाते हैं तो विदेशी संस्थागत निवेशक/उप-खाता ऐसे बांडों/अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को या तो तीसरे पक्ष को या निर्गम जारीकर्ता को बेच कर निवेश को तुरंत समाप्त कर देगा एवं साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक/उप-खाते को किए गए प्रस्ताव में इस आशय की शर्त शामिल होगी कि ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों का जारीकर्ता उक्त परिस्थिति में विदेशी संस्थागत निवेशक/उप-खाते से संदर्भित प्रतिभूतियों को तुरंत चुकता कर देगा/वापस खरीद लेगा ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 89, 1 मार्च 2012]

3. स्पष्टीकरण - निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

उदारीकृत विप्रेषण योजना (योजना) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:

यह योजना अवयस्कों सहित सभी निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है । यदि विप्रेषक अवयस्क हो तो एलआरएस घोषणा फार्म अवयस्क के असली (Natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए । तदनुसार संशोधित एलआरएस आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म संलग्न है;

इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण एक परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विप्रेषणों में समेकित होंगे, बशर्ते परिवार के सदस्य इस योजना की शर्तों को पूरा करते हों; और

इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण से कलाकृतियों (कलात्मक वस्तुओं) की खरीद की जा सकती है, बशर्ते इन कार्यों के लिए अन्य लागू कानून, जैसे भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के उपबंध, इसकी अनुमति देते हों ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 90, 6 मार्च 2012]

4. भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

6 फरवरी 2012 से इसमें पुनः और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 9 फरवरी 2012 से विशेष करेंसी बास्केट का मूल्य ₹ 68.838139 नियत किया गया है ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 91, 13 मार्च 2012]

5. डायमंड डॉलर खाता खोलना - रिपोर्टिंग अवधि में परिवर्तन

रिपोर्टिंग व्यवस्था के और युक्तिकरण के मद्देनजर, अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मार्च 2012 को समाप्त होने वाली तिमाही से डायमंड डॉलर खाता खोलने वाली फर्म/कंपनी, जिसके नाम से डायमंड डॉलर खाता खोला गया है, द्वारा खाता खोलने/बंद करने की तारीख सहित उनके नाम तथा पते के ब्योरे देते हुए **मासिक रिपोर्ट के बजाए तिमाही रिपोर्ट** संबंधित तिमाही के अगले माह की 10 तारीख तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यापार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, मुंबई - 400001 को प्रस्तुत करें ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं. 92, 13 मार्च 2012]

6. सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रमों और/ अथवा देशी उद्यम पूंजी निधियों में निवेश

अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को समय - समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत निजी व्यवस्था के रू प में/किसी तीसरी पार्टी से खरीद द्वारा भी पात्र प्रतिभूतियों (किसी भारतीय उद्यम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधियों की ईक्विटी, ईक्विटी संबद्ध लिखतों, कर्ज, कर्ज लिखतों, डिबेंचरों अथवा उद्यम पूंजी निधि द्वारा स्थापित/संचालित योजनाओं/निधियों की ईकाईयों) में निवेश करने के लिए अनुमति दी जाए । यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को, समय - समय पर यथा संशोधित, सेबी विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए भी अनुमति दी जा सकती है ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 93, 19 मार्च 2012]

7. स्पष्टीकरण - पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत निवेशों के लिए सकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ अनिवासी भारतीय सीमाओं में वृध्दि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व सूचना देना

एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सकल विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश सीमा 24 प्रतिशत से सैक्टोरेल कैप/सांविधिक सीमा तक, जैसा कि संबंधित भारतीय कंपनी के लिए लागू है, बढ़ाने अथवा सकल अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सीमा 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ाने वाली भारतीय कंपनी, अब तक की भांति, भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्यतः तुरंत सूचित करेगी, तथा उसके साथ कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करेगी कि समय-समय पर यथा संशोधित मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के विनियमों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के सभी संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ।

यह भी नोट किया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक/ अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति के निवेशों की उच्चतम सीमा की दैनिक आधार पर निगरानी करता है। विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाओं की प्रभावी निगरानी के लिए, रिज़र्व बैंक ने कट-ऑफ पॉइंट निर्धारित किए हैं, जो वास्तविक उच्चतम सीमा से दो प्रतिशत पॉइंट कम हैं । जैसे ही विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों की सकल निवल खरीद, समग्र सीमा के नीचे 2 प्रतिशत के कट ऑफ पॉइंट तक पहुँचती है, रिज़र्व बैंक, सभी नामित बैंक शाखाओं को सतर्क करता है कि किन्हीं विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों के पक्ष में संबंधित कंपनी के ईक्विटी शेयरों की कोई और खरीद रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना न करें। तत्पश्चात लिंक कार्यालयों से अपेक्षित है कि वे अपने विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के पक्ष में कंपनी के खरीदे जाने वाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या तथा मूल्य के बारे में रिज़र्व बैंक को अवगत करायें । रिज़र्व बैंक इस प्रकार के प्रस्तावों की प्राप्ति पर कंपनियों में, यथा लागू, निवेश से संबंधित सीमाओं (जैसे, 10 / 24 / 30 / 40 / 49 प्रतिशत सीमा अथवा सेक्टोरेल कैप/सांविधिक उच्चतम सीमा), तक पहुंचने हेतु पहले आये सो पहले पाये (first-come-first served) आधार पर अनुमति (क्लीयरंस) देता है । सकल उच्चतम सीमा तक पहुंचने पर, रिज़र्व बैंक, सभी नामित बैंक शाखाओं को अपने विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के पक्ष में खरीद रोकने की सूचना देता है । रिज़र्व बैंक इन कंपनियों में निवेश के प्रति आम लोगों को 'सतर्क करने' तथा 'खरीद रोकने' के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी करता है और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उसके बारे में अद्यतन सूची प्रदर्शित करता है।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 94, 19 मार्च 2012]

8. विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 - अनिवासी (बाह्य) रुपया /विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में जमा (क्रेडिट)

समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी के अनुसार भारत में निवास करनेवाला

व्यक्ति, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, भारत से बाहर के अपने नजदीकी रिश्तेदारों से अधिकतम 250,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि उधार ले सकता है।

रिज़र्व बैंक को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे ऋणों की अदायगी हेतु चुकौती राशि अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खातों में जमा करने के लिए अनुमति दी जाए । पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, संबंधित उधारदाता के एनआरई/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी.)] खाते में ऐसे ऋणों की अदायगी के लिए राशि जमा करने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते निवासी व्यक्ति को ऋण, सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण के रूप में अथवा उधारदाता के एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते को नामे करते हुए दिया गया हो तथा उधारदाता समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के आशय के तहत एनआरई/ एफसीएनआर (बी) खाता खोलने के लिए पात्र हो । ऐसी जमाराशि को पूर्वोक्त अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी की अनुसूची-2 के पैरा 5 के साथ पठित अनुसूची-1 के पैरा 3(जे) के अनुसार एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते में पात्र जमा के रूप में समझा जाएगा।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 95,
21 मार्च 2012]

9. भारतीय पार्टी (पक्ष) द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - युक्तिकरण

भारतीय पार्टी को इस संबंध में और लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अधिसूचना के विभिन्न उपबंधों/विनियमों को निम्नवत और लचीला बनाया जाए।

अचल/चल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन

उक्त अधिसूचना के मौजूदा विनियमों में भारतीय पार्टी की अचल/चल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों से इतर) पर प्रभार के सृजन की संकल्पना नहीं है। यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय प्रतिबध्दताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पार्टी को अपनी और अपनी ग्रुप कंपनियों की अचल/चल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर गिरवी/बंधक/दृष्टिबंधक के रूप में प्रभार सृजन करने की अनुमति इस बाबत विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा (मौजूदा 400 प्रतिशत) के अंतर्गत अनुमोदन मार्ग के तहत दी जाए बशर्ते उनके भारतीय उधारदाताओं ने भारतीय और उसकी ग्रुप कंपनियों की 'अनापत्ति' की सहमति दी हो। ऐसी संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर प्रभार के सृजित होने पर वित्तीय प्रतिबध्दताओं संबंधी आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणाली शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी ।

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी की ओर से जारी बैंक गारंटियों के लिए वित्तीय प्रतिबध्दताओं की गणना

यह निर्णय लिया गया है कि किसी भारतीय पार्टी के समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी की ओर से निवासी बैंक के द्वारा जारी बैंक गारंटी, जिसके लिए भारतीय पार्टी द्वारा प्रति गारंटी/संपार्श्विक गारंटी दी गयी हो, की गणना भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबध्दताओं में की जाएगी और तदनुसार उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। बैंक गारंटी जारी करने के कारण सृजित वित्तीय प्रतिबध्दताओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रणाली शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।

भारतीय पार्टी के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष व्यक्ति प्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा व्यक्तिगत गारंटी जारी करना

यह निर्णय लिया गया है कि किसी भारतीय पार्टी के प्रवर्तकों द्वारा आम अनुमति के तहत संप्रति जिन शर्तों के तहत व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए अनुमति दी जाती है, उन्हीं शर्तों के तहत भारतीय पार्टी के अप्रत्यक्ष निवासी प्रवर्तकों द्वारा प्रत्यक्ष प्रवर्तकों की भांति व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए भी अनुमति दी जाए।

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी अंशदान के बिना वित्तीय प्रतिबध्दता

भारतीय पार्टी की कारोबारी अपेक्षाओं, विशेष कर मेजबान देश की कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी की ईक्विटी में सहभागिता किए बिना भी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत वित्तीय प्रतिबध्दता के प्रस्तावों पर अनुमति देने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेजबान देश के कानून भारतीय पार्टी द्वारा बिना ईक्विटी सहभागिता के कंपनी के गठन की अनुमति देते हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों के ऐसे प्रस्ताव रिज़र्व बैंक के विचारार्थ अग्रसारित कर सकते हैं।

वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

जहाँ मेजबान देश का कानून संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य नहीं बनाता है, वहाँ भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए बशर्ते :

क. भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना

लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के मामलों की सच्ची एवं सही तस्वीर पेश करते हैं' और

ख. कि संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे भारतीय पार्टी द्वारा समाहित कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गयी है ।

अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर

अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को ईक्विटी शेयरों के समान माना जाएगा और भारतीय पार्टी को अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के मार्फत संयुक्त उद्यम के प्रति एक्स्पोजर के आधार पर वित्तीय प्रतिबध्दताएं करने की अनुमति दी जाती है ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 96, 28 मार्च 2012]

10. निवासी व्यक्तियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश - उदारीकरण/युक्तिकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासी व्यक्तियों द्वारा (i) अर्हता शेयर, (ii) दी गई पेशेवर सेवाओं और (iii) कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना के तहत विदेशी कंपनियों के ईक्विटी शेयरों के अर्जन के लिए उपलब्ध सुविधा की समीक्षा की है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (अध्यक्षः श्रीमती के.जे. उदेशी) द्वारा अगस्त 2011 में प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की गयी थी कि उल्लेखानुसार विदेशी कंपनियों के ईक्विटी शेयरों के अर्जन के लिए निवासी व्यक्तियों को आम अनुमति प्रदान की जा सकती है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित के संबंध में आम अनुमति प्रदान की जाए।

समुद्रपारीय कंपनी के निदेशक का पद धारण करने के लिए अर्हता शेयरों का अर्जन

उल्लिखित अधिसूचना के विनियम 24(1)(ए) के अनुसार भारत में निवास करने वाला व्यक्ति " एक व्यक्ति होने के कारण " भारत से बाहर गठित किसी कंपनी के निदेशक का पद धारण करने के लिए ऐसी कंपनी द्वारा जारी अर्हता शेयरों को धारण करने की अनिवार्यता के तहत विदेशी प्रतिभूतियों को अर्जित कर सकता है, बशर्तेः-

i. इस प्रकार अर्जित किए गए शेयरों की संख्या निदेशक का पद-धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शेयरों तक सीमित रहेगी एवं किसी भी हालत में उक्त कंपनी की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और

ii. ऐसे शेयरों के अर्जन के लिए प्रतिफल राशि इस बाबत रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चूंकि किसी (समुद्रपारीय) कंपनी में निदेशक के रूप में निवासी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कंपनी के कतिपय अर्हता शेयरों का धारण करना मेजबान देश के कानून से विनियमित होता है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्ति द्वारा समुद्रपारीय कंपनी में निदेशक का पद धारण करने के लिए अर्हता शेयरों को धारण करने के संबंध में मौजूदा एक प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटा दिया जाए। तदनुसार, अब से निवासी व्यक्ति को समुद्रपारीय कंपनी के निदेशक का पद धारण करने के लिए कंपनी जिस देश में स्थित है उस मेजबान देश के कानूनों के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा तक अर्हता शेयर अर्जित करने के लिए विप्रेषण करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अर्हता शेयरों के अर्जन के लिए विप्रेषण सीमा, तत्समय लागू, उस समग्र सीमा के अंदर होगी जिसे रिज़र्व बैंक ने उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत व्यक्तियों द्वारा विप्रेषित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया हो।

पेशेवर सेवाओं या निदेशक के रूप में पारिश्रमिक के बदले विदेशी कंपनी के शेयरों का अर्जन

यह निर्णय लिया गया है कि निवासी व्यक्तियों द्वारा किसी विदेशी कंपनी को दी गयी पेशेवर सेवाओं के प्रतिफल के एक भाग/पूरे प्रतिफल के लिए या निदेशक के रूप में प्राप्य पारिश्रमिक के एक भाग/पूरे पारिश्रमिक के बदले शेयर अर्जित करने हेतु आम अनुमति प्रदान की जाए। मूल्य के अनुसार ऐसे शेयरों के अर्जन हेतु सीमा, ऐसे शेयरों के अर्जन के समय, उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत व्यक्तियों हेतु लागू विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना के मार्फत विदेशी कंपनी के शेयरों का अर्जन करना

अब यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना के अंतर्गत निवासी कर्मचारियों या निदेशकों को, ग्लोबल स्तर पर एक समान रूप में, विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्ताव किए गए शेयरों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाए, भले ही भारतीय कंपनी में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ईक्विटी स्टेक कितना भी क्यों न हो, बशर्तेः

i. शेयर जारी करने वाली कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना के अंतर्गत शेयरों के प्रस्ताव ग्लोबल स्तर पर एक समान रूप में किए गए हों; और

ii. भारतीय कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत विप्रेषणों/लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते हुए रिज़र्व बैंक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाए।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 97, 28 मार्च 2012]

11. रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रित जीआर फॉर्मों की आपूर्ति बंद करना

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन और इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक दवारा जीआर फॉर्मों की छपाई तथा आपूर्ति करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुद्रित जीआर फॉर्मों की आपूर्ति / काउंटर से बिक्री समाप्त कर दी जाए । अतः **1 जुलाई 2012** से, जीआर फॉर्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर निम्नलिखित लिंक पर केवल ऑन-लाइन ही उपलब्ध होंगे :

'अधिसूचना->फेमा->फॉर्म->जीआर फॉर्म की छपाई के लिए'

जीआर फॉर्मों को डाउनलोड करते समय, निर्यातक 'लीगल' साइज पेपर अर्थात 8.5 * 14 इंच पेपर का उपयोग सुनिश्चित करें । इसके अलावा, छपाई से पहले, पेज सेटअप ऑप्शन में प्रिंटर और पेपर साइज दोनों लीगल साइज पर सेट करने होंगे । जब दस्तावेज मुद्रण कतार में जाएगा, तो जीआर नंबर स्वतः अपने आप आबंटित हो जाएगा।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 98, 30 मार्च 2012]

12. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा

वैश्विक वित्तीय बाजार की घटनाओं और उधारकर्ताओं को मौजूदा समग्र कीमत उच्चतम सीमा में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबीएस) की प्राप्ति में महसूस की जा रही कठिनाइयों संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए, तीन और पाँच वर्षों तक की औसत परिपक्वता के बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबीएस) के लिए समग्र कीमत उच्चतम सीमा 23 नवंबर 2011 से 6 माह के लिबोर + 350 आधार अंक तक, और 31 मार्च 2012 को पुनरीक्षा की शर्त के अधीन, बढ़ायी गयी थी । पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में बढ़ायी गयी समग्र उच्चतम सीमा और छः माह की अवधि के लिए बनाये रखी जाए:

औसत परिपक्वता अवधि	**छः माह से अधिक की लिबोर * दर तक समग्र कीमत उच्चतम सीमा**
तीन वर्ष से पांच वर्ष तक	350 आधार अंक
पांच वर्ष से अधिक	500 आधार अंक

* उधार जिस करेंसी में लिया गया है या लागू बेंच मार्क (दर)

समग्र कीमत उच्चतम सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99, 30 मार्च 2012]

13. भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण - समग्र कीमत उच्चतम सीमा की समीक्षा

वैश्विक वित्तीय बाजार की घटनाओं और घरेलू आयातकों द्वारा मौजूदा समग्र उच्चतम सीमा में व्यापार ऋण प्राप्ति में महसूस की जा रही कठिनाइयों संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए, व्यापार ऋण के लिए समग्र उच्चतम सीमा 15 नवंबर 2011 से 6 माह के लिबोर + 350 आधार अंक तक, और 31 मार्च 2012 को पुनरीक्षा की शर्त के अधीन, बढ़ायी गयी थी । पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि व्यापार ऋणों के संबंध में बढ़ायी गयी समग्र उच्चतम सीमा और छः माह की अवधि के लिए बनाये रखी जाए :

परिपक्वता अवधि	**छः माह से अधिक की लिबोर* दर तक समग्र कीमत उच्चतम सीमा**
एक वर्ष तक	350 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षो तक	

*ऋण जिस करेंसी में लिया गया है अथवा लागू बेंच मार्क (दर)

समग्र कीमत उच्चतम सीमा में प्रबंधकर्ता का शुल्क, अप फ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, हैंडिलिंग/प्रोसेसिंग चार्जेज, जेब खर्च और विधिक व्यय, यदि कोई हों, शामिल होंगे।

समग्र कीमत लागत सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है। व्यापार ऋण संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत् रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 100, 30 मार्च 2012]